आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी सुधार वाद सं0–08/2016

राम विलास दास ....वादी
बनाम्
संगीता देवी..............................प्रतिवादी

आदेश

5/2/21

प्रस्तुत मामले से संबंधित प्रथम अभिलेख अंचल अधिकारी, गोगरी द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं0 2/13–14 संधारित कर प्रारंभ किया गया जिसमें अंचल अधिकारी ने सम्यक जाँच एवं उभय पक्षों की सुनवाई के उपरान्त मौजा–कोलसारा में गठित जमाबंदी सं0 426 के रकवा को पूर्ववत करने की अनुशंसा करते हुए अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को प्रेषित किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगनी ने उभय पक्षों को नोटिस किये जिसके आलोक में उभय पक्ष अपना–अपना अभिकथन दाखिल किये। साथ ही अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जो अभिलेख वद्ध है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी ने दिनांक 16.12.14 को आदेश पारित करते हुए जमाबंदी सं0 426 को पूर्ववत करने की अनुशंसा करते हुए अभिलेख इस न्यायालय में प्रेषित किये।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के आदेश दिनांक–16.12.14 का अवलोकन किया जिसमें इन्होंने उभय पक्षों का सुनवाई कर अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन करते हुए न्यायोचित आदेश पारित करते हुए विनिश्चत किये कि मौजा–कोलसारा में जमाबंदी नं0 426 रामविलास दास, टुन बहादुर दास, मिथिलेश दास वो अखिलेश्वर दास के नाम से रकवा 5–13–10 के लिए गठित था। जिसे दाखिल खारिज वाद सं0 2/09–10 के अनुसार जमाबंदी सं0 745 पर आमद कर दिया गया जबकि आवेदक के द्वारा विपक्षी को जमाबंदी सं0 370 में सन्निहित भूमि बिक्री की गयी थी। अतः स्पष्ट है कि जमाबंदी सं0 775 में रकवा जमाबंदी सं0 370 से खारिज होना चाहिए था। परन्तु रकवा जमाबंदी नं0 426 से खारिज हो गया। इस तथ्य का उल्लेख अंचल अधिकारी, गोगरी के आदेश में उल्लेखित है। अतः स्पष्ट है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.12.14 समुचित आधार पर विधि सम्मत तरीके से पारित किया गया है।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए मौजा–कोलसारा में गठित जमाबंदी सं0 476 का रकवा को पूर्ववत करने का आदेश दिया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी एवं अंचल अधिकारी, [illegible] को अनुपालनार्थ भेजें। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस भेंजे। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। 5/4/21 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। जो०की०न० 243 दिनांक 3/4/21 प्रतिलिपि- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को सम्बन्धित अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी परबत्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि- N.I.C. खगड़िया को वेबसाइट में प्रकाशन हेतु प्रेषित। 5/4 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।	